इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर** के बगल में स्थित [शाही ईदगाह मस्जिद](#) को हटाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के लिये तारीख तय की है।

मुख्य बिंदु:

- कटरा केशव देव खेवट में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य 17 द्वारा दायर मुकदमों में दावा किया गया है कि मस्जिद **कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि** पर बनाई गई थी।
- **विवादित भूमि का इतिहास:**
  - ओरछा के **राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी वर्ष 1618 में** उसी परिसर में एक **मंदिर बनवाया** था और **वर्ष 1670 में औरंगज़ेब ने** पूर्वकाल के **मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाया** था।
  - माना जाता है कि **मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर** का निर्माण **लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी** में हुआ था।
  - उस परिसर के पूर्ण स्वामित्व के लिये हिंदू प्रतिनिधियों की मांग के कारण एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है जहाँ **वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब** के आदेश पर केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया गया था।
    - इस क्षेत्र को [नज़ूल भूमि](#) माना जाता था- गैर-कृषि राज्य भूमि जिसका स्वामित्व पहले मराठों और फिर अंग्रेज़ों के पास था।
  - यह मंदिर मूल रूप से **वर्ष 1618 में जहाँगीर के** शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसका संरक्षण औरंगज़ेब के **भाई तथा प्रतिद्वंद्वी दारा शिकोह** ने किया था।
  - **वर्ष 1815 में, बनारस के राजा** ने **ईस्ट इंडिया कंपनी** से 13.77 एकड़ ज़मीन खरीदी।
  - बाद में **श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट** की स्थापना की गई।
    - ट्रस्ट ने **वर्ष 1951** में मंदिर पर मालिकाना हक हासिल कर लिया।
    - 13.77 एकड़ ज़मीन इस शर्त के साथ ट्रस्ट के अधीन रखी गई थी कि इसे कभी बेचा या गिरवी नहीं रखा जाएगा।
    - **वर्ष 1956 में,** मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिये **श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ** की स्थापना की गई थी।
    - **वर्ष 1968 में, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट** के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जहाँ मंदिर प्राधिकरण ने समझौते के हिस्से के रूप में ज़मीन का एक हिस्सा **ईदगाह** को दे दिया।
  - मौजूदा विवाद में मंदिर के याचिकाकर्त्ता शामिल हैं जो ज़मीन के पूरे हिस्से पर कब्ज़ा चाहते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/aalahabad-high-court-to-hear-plea-for-mathura-mosque-removal